310

1271-I/17 R 1271-I-17

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग

श्रीमति मुन्नीबानो आयु 65 वर्ष, पति हजरत पुत्री तुफैल मुहम्द, निबासी– गांधी वार्ड खुरई, तहसील खुरई, जिला सागर,

....आवेदिका

बनाम

श्रीमति रहीसा बेगम आयु 65 वर्ष पत्नि मु0 फरीद पुत्री तुफैल मुहम्मद निबासी– गांधी वार्ड खुरई, तहसील खुरई, जिला सागर,

.... अनावेदिका

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता :–

आवेदिका की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदिका यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी खुरई, जिला सागर द्वारा प्र0क0 110/अ–6/2015–16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 18/11/2016 से परिवेदित होकर कर रही हैं। जो समय सीमा मे न होन से निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन मय शपथपत्र के प्रस्तुत कर रही है। जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है ।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदिका के नाम से ग्राम खुरई की नामांतरण पंजी 54 दिनांक 01/04/1993 के आधार प्रकरण की वादभूमि खसरा नंबर 638/2 का नामातरण स्वीकृत किया गया था, जिस पर अनावेदिका द्वारा भी सहमति प्रदान की गई थी। जिसके उपरांत से आवेदिका का नाम उपरोक्त भूमि पर लगातार दर्ज होकर आवेदिका काबिज चली आ रही है। अनावेदिका आवेदिका की सगी बहन है।

3– यह कि उपरोक्त नामांतरण पंजी कमांक 54 दिनांक 01/04/93 से परिवेदित होकर अनावेदिका द्वारा एक अपील करीब चौबीस साल उपरांत दिनांक 10/08/2016 को अनुविभागीय अधिकारी खुरई के समक्ष निराधार रूप से प्रस्तुत की थी। जिसके साथ जो धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र विलब मॉफ करने बावद प्रस्तुत किया था। उपरोक्त आवेदन पत्र में अनावेदिका द्वारा न तो आदेश की

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला–सागर

प्रकरण क्रमांक–निगरानी–1271–एक / 2017

श्रीमती मुन्नीबानो विरूद्ध श्रीमती रहीसा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी खुरई, जिला–सागर के प्रकरण क्रमांक 110 / अ–6 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 11.3.19	